पत्रांक- विधि- 4(2)/ परिपत्र भाग- 4/(2015-16)// 3166 /1617052 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(विधि-अनुभाग)
दिनांक:: लखनऊ, 7 दिसम्बर, 2016

समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक),
समस्त कर निर्धारण अधिकारी,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मेरे द्वारा विभिन्न जोनों की समीक्षा पर पाया गया कि अभी भी अधिक संख्या में धारा- 31/32 के प्रार्थनापत्र निस्तारण हेतु अवशेष हैं। धारा- 31/32 का प्रार्थना पत्र लम्बित रहने की दशा में वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा सकते हैं, भले ही मांग सृजित हुए पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका हो। सृजित माँग की वसूली हेतु खण्ड के अधिकारियों द्वारा अपेक्षित रूचि नहीं ली जा रही है जिसके कारण धारा- 31/32 के प्रार्थना पत्र अत्यधिक संख्या में लम्बित हैं।

अत: इस सम्बन्ध में आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को समुचित निर्देश देते हुए ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें मांग सृजित है, किन्तु धारा- 31/32 का प्रार्थना पत्र लम्बित होने के कारण वसूली की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, में लम्बित धारा- 31/32 के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण दिनांक 15.12.2016 के पूर्व कराते हुए वसूली दिनांक 15.12.2016 तक सुनिश्चित करायें।

एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) खण्डों की समीक्षा करते समय इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देते हुए उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगें तथा अपनी समीक्षा टिप्पणी में इसका स्पष्ट उल्लेख करेंगें कि खण्ड में सृजित मांग से सम्बन्धित ऐसे कितने प्रार्थना पत्र अवशेष है तथा वे किस तिथि को प्राप्त हुए हैं। भविष्य में यदि धारा- 31/32 प्रार्थना पत्र के आधार पर वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए पाये गये तो खण्ड के अधिकारियों के साथ-साथ सम्बन्धित ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) के विरूद्ध भी प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

7/12/16
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।